राजस्थान–सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
: 0141–2704357 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांकः निसंशि / संस्था–5 / डीपीसी / 2020–21 / 29378 – 405 दिनांकः 03/09/2021

आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.07.1996 द्वारा रिक्ति वर्ष 1996–97 के लिए 33 पदों पर कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति की गई। पचदोन्नति में सम्मिलित 33 पदों में तत्समय वास्तविक रिक्ति 19 एवं संभावित रिक्ति 14 के लिए डी.पी.सी. की गई। डी.पी.सी. उपरान्त विभागीय आदेश दिनांक 20.07.1996 द्वारा वर्ष 1996–97 के लिए वास्तविक रिक्ति 19 में एक व्यक्ति के आदेश (जांच के कारण) रोकते हुए शेष 18 कार्मिकों के पदस्थापन आदेश प्रस्तावित कर दिये गये।

राज्य सरकार के दिनांक 21.11.1996 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के 14 पद प्राप्त हुए जिन्हें विभागीय आदेश दिनांक 17.12.1996 द्वारा संबंधित संस्थाओं को आवंटित किये गये। राज्य सरकार से 21.11.1996 को पद प्राप्त होन तथा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.07.1996 द्वारा संभावित रिक्तियों के लिए 14 कार्मिकों की डीपीसी उपरान्त भी तत्समय पदस्थापन आदेश जारी नहीं किये जाकर के विभागीय आदेश दिनांक 14.10.1997 द्वारा पदोन्नत कार्मिकों का चयन वर्ष 1996–97 के स्थान पर चयन वर्ष 1997–98 के लिए पदोन्नति आदेश जारी किये गये। रिक्ति वर्ष 1997–98 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.10.1997 को आयोजित की गई जिसमे कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर 20 कार्मिको की DPC की गई। इन 20 कार्मिकों के पदस्थापन आदेश विभागीय आदेश दिनांक 29.10.1997 द्वारा प्रसारित किये गये। किन्तु रिक्ति वर्ष 1997–98 के लिए विभागी पदोन्नति समिति की बैठक में चयन वर्ष चयन वर्ष 1996–97 में संभावित रिक्तियों के विरूद्ध चयनित 14 कार्मिकों को वर्ष 1997–98 की पदोन्नति में सम्मिलित नहीं किया गया। इन 14 कार्मिकों की DPC एक बार ही की गई है।

चयन वर्ष 1996–97 में संभावित रिक्तियों के विरूद्ध चयनित 14 कार्मिक जिनकी पदोन्नति रिक्ति वर्ष 1996–97 में की गयी थी किन्तु तत्समय जारी पदोन्नति आदेश में रिक्ति वर्ष 1997–98 अंकित किया था। इन द्वारा विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिक्ति वर्ष 1996–97 करने की मांग की गयी।

प्रकरण में प्रशासनिक विभाग से मार्गदर्शन चाहने पर शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः पं01(13)शिक्षा–6 / 2021 दिनांक 24.08.2021 द्वारा अवगत कराया कि ***"प्रकरण कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर की गई पदोन्नति हेतु चयन वर्ष के निर्धारण में त्रुटि निदेशालय, संस्कृत शिक्षा विभाग के स्तर पर हुई है। प्रकरण में राज्य सरकार के स्तर से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः विभाग अपने स्तर से ही नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।"***

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रकरण का विभाग द्वारा परीक्षण किया गया। प्रकरण में विचारणीय तथ्य निम्नानुसार है –

- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 19.07.1996 द्वारा रिक्ति वर्ष 1996–97 के लिए वास्तविक रिक्ति 19 पद + संभावित रिक्त 14 कुल 33 पदों पर कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति की गयी। संभावित 14 पदों के लिए की गयी डीपीसी में संभावित पद राज्य सरकार से प्राप्त होने एवं विभागीय आदेश दिनांक 17.12.1996 द्वारा संस्थाओं को आवंटित किये जाने के उपरान्त भी इन कार्मिकों के रिक्ति वर्ष में पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये।

- रिक्ति वर्ष 1997–98 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.10.197 को आयोजित की गई जिसमें कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक पद पर 20 कार्मिकों की DPC की गई। इन 20 कार्मिकों के पदस्थापन आदेश विभागीय आदेश दिनांक 29.10.1997 द्वारा प्रसारित किये गये। किन्तु रिक्ति वर्ष 1997–98 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चयन वर्ष 1996–97 में संभावित रिक्तियों के विरूद्ध चयनित 14 कार्मिकों को पुनः वर्ष 1997–98 की पदोन्नति में सम्मिलित नहीं किया गया।
- इन 14 कार्मिकों के पदस्थापन आदेश विभागीय आदेश दिनांक 14.10.1997 द्वारा चयन वर्ष 1996–97 के स्थान पर चयन वर्ष 1997–98 अंकित कर जारी किये गये।
- इन कार्मिकों की डीपीसी चयन वर्ष 1996–97 में की गयी किन्तु पदोन्नति आदेश चयन वर्ष 1997–98 अंकित कर ज़ारी किये गये, जबकि इन कार्मिकों को डीपीसी चयन वर्ष 1997–98 में सम्मिलित नहीं किया गया।

विभागीय आदेश क्रमांक निसंशि/संस्था–4/96–97/291–363 दिनांक 14.10.1997 द्वारा निम्नांकित कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किए गए–

क्र. स.	पीएफ संख्या	नाम मय वर्तमान पदस्थापन स्थान	वरिष्ठ लिपिक पद पर चयन का रिक्ति वर्ष	वि.वि.
1.	423	प्रहलाद सिंह चौहान/कार्यालय सं.स.शि.अ.बीकानेर संभाग चूरू	97–98	
2.	413	मनमहेन्द्र पारीक/सेवानिवृत	97–98	सेवानिवृत्त 31.10.2019 निसंशि जयपुर से
3.	421	अर्जुन सिंह/ कार्यालय सं.स.शि.अ. कोटा संभाग, कोटा	97–98	
4.	124	साईमन (प्रवे. नारेडा, जयपुर)	97–98	निलम्बित मुख्यालय संसंशि कोटा
5.	451	चर्तुभुज शर्मा/सेवानिवृत	97–98	सेवानिवृत्त 31.03.2019 कार्या. संसंशि कोटा संभाग, कोटा
6.	453	राजेन्द्र मेहरा/सेवानिवृत	97–98	सेवानिवृत्त 31.05.2020 कार्या. संसंशि कोटा संभाग, कोटा
7.	454	आल्हा सिंह/सेवानिवृत	97–98	सेवानिवृत्त 31.01.2010 कार्या. संसंशि उदयपुर संभाग, उदयपुर
8.	455	ओमदत्त शर्मा/सेवानिवृत	97–98	सेवानिवृत्त 31.07.2012 रावरिउपासंवि खैरथल मण्डी, अलवर
9.	459	कैलाशचंद बंशीवाल	97–98	मृत्यु दिनांक 02.11.2014
10.	458	कैलाशचन्द सैन/ राशासंमहावि. अलवर	97–98	—
11.	460	रामबाबू मित्तल/राआसंवि भरतपुर	97–98	—
12.	462	सुनील शर्मा/ रावरिउपासंवि, जोधपुर	97–98	—
13.	463	सरफराज अहमद खान/ निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर	97–98	—
14.	470	दिनेश कुमार जोशी/ निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर	97–98	—

उपर्युक्त आदेश में अंकित कनिष्ठ लिपिकों का पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर रिक्ति वर्ष 1996–97 के लिए चयन करते हुए पदोन्नति की अभिशंषा की गई थी किन्तु इनके पदोन्नति आदेश में चयन वर्ष 1997–98 अंकित किया गया है।

पदोन्नति के चयन वर्ष को नियमानुसार सुधार करने के लिए प्राप्त परिवेदना के निस्तारण हेतु शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त मार्गदर्शन की अनुपालना में प्रकरण के अभिलेखानुसार पुनः परीक्षण किये जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों का वरिष्ठ लिपिक पद पर चयन वर्ष 1997–98 के स्थान पर 1996–97 संशोधित किया जाता है।

पदोन्नत कार्मिकों को पदोन्नति का काल्पनिक परिलाभ (पद सृजन तिथि) दिनांक 17.12.1996 से एवं वास्तविक परिलाभ वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यग्रहण तिथि से देय होगा।

3/9/2021

(डॉ. दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

29378-405
03/09/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के पत्र कमांक पं. 1 (13)शिक्षा–6/2021 जयपुर दिनांक 24.08.2021 की अनुपालना में सूचनार्थ।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
3. कार्यालयाध्यक्ष, निदेशालय संस्कृत शिक्षा को भेजकर लेख है कि संबंधित का नियमानुसार वेतन नियतन करते हुए मंत्रालयिक संवर्ग की स्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.1997 से अद्यतन प्रभावित कार्मिकों की वरियता संशोधित करवावें।
4. संबंधित प्राचार्य, महाविद्यालय एवं प्रधानाचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही करते हुये विभाग को की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
5. संबंधित कार्मिक।
6. गोपनीय अनुभाग प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
7. श्री दिनेश कुमार जोशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा को उनकी परिवेदना के निस्तारण क्रम में सूचनार्थ।
8. प्रभारी वेबसाइट, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब वेबसाईट पर अपलोड कर संबंधित अनुभाग को अवगत करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

3/9/21

(प्रेमराज वर्मा)
सहायक निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर